संख्या-27/2024/2082/001-1407-2024-23-11-2024

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक 06 दिसम्बर 2024**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 19 लघु सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के निम्नांकित पत्रों का कृपया सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें :-

क्र0	पत्र संख्या एवं दिनांक
1	890/प्रा०आ०/राज्य योजना/वाराणसी क्षेत्र/सेतु-3/24 दि० 11.09.2024
2	422/प्रा०आ०/राज्य योजना/मध्य क्षेत्र/बी०एम०सी0/24-25 दि० 17.09.2024
3	758/प्रा०आ०-रमगढवा/महराजगंज/सेतु-3/2024 दिनांक 13.08.2024
4	396/प्रा०आ०/राज्य योजना/झाँसी क्षेत्र/बी०एम०सी0/24 दि० 11.09.2024
5	400/प्रा०आ०/राज्य योजना/कानपुर क्षेत्र/बी०एम०सी0/24 दि० 11.09.2024
6	425/प्रा०आ०/राज्य योजना/प्रयागराज क्षेत्र/बी०एम०सी०/24-25 दि0 17.09.2024
7	868/प्रा० आगणन-आगरा/02 लघु सेतु/सेतु-6/24-25 दिनांक 10.09.2024
8	932/प्रा०आ०-बरेली/01 लघु/सेतु-6/2024-25 दि0 22.09.2024
9	939/प्रा० आगणन-सहारनपुर/01 लघु/सेतु-6/2024-25 दि० 22.09.2024
10	948/प्रा0 आगणन-गोरखपुर क्षेत्र/सेतु-3/2024-25 दि० 20.09.2024
11	937/प्रा०आ०-मेरठ/02 लघु/सेतु-6/2024-25 दि० 22.09.2024

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अनुदान सं0-57/83 में राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 19 नये लघु सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु कुल लागत 3369.20 लाख (रूपये तेतीस करोड़ उनहत्तर लाख बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्न तालिका के कॉलम-5 में अनुदान सं0-57 से कुल रू0 2123.67 लाख एवं कॉलम-6 में अंकित अनुदान सं0-83 से कुल रू0 571.69 लाख अर्थात कॉलम 7 में अंकित कुल रू0 2695.36 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ पन्चानबें लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र0	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित आवंटन की फांट			कार्यदायी संस्था
				अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चंदौली	जनपद चंदौली में ग्रामसभा गोरारी सोनबरसा सरिकोनिया चन्द्र प्रभा नदी पर लघु सेतु एवं	258.30	162.81	43.83	206.64	लो0नि0वि0

http://shasanadesh.up.gov.in

		पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य					
2	चंदौली	जनपद चन्दौली में ग्रामसभा महुरा में कलाधर सिंह के मशीन के पास आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	73.84	46.54	12.53	59.07	लो0नि0वि0
3	चंदौली	जनपद चन्दौली में ग्रामसभा कादिराबाद के पास अगहरवीर बहोरिया नदी कटशिलवा पर आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य।	221.61	139.69	37.60	177.29	लो0नि0वि0
4	चंदौली	जनपद चन्दौली में पाण्डेयपुर सिकन्दपुर किमी0-2 में (असुरक्षित लघु सेतु के स्थान पर) सेतु के निर्माण कार्य।	66.95	42.20	11.36	53.56	लो0नि0वि0
5	जौनपुर	जनपद जौनपुर में इब्राहिमपुर से बजहा सम्पर्क मार्ग के चैनेज 1.20 पर स्थित नहर पर क्षतिग्रस्त सेतु के स्थान पर नये लघु सेतु का निर्माण कार्य।	49.57	31.25	8.41	39.66	लो0नि0वि0
6	उन्नाव	जनपद उन्नाव में अहमदाबाद ग्राण्ट सम्पर्क मार्ग के किमी0-3 में स्थानीय नाले पर 2x3.00 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	53.82	33.93	9.13	43.06	लो0नि0वि0
7	उन्नाव	जनपद उन्नाव में हिलौली भवानीगंज जोरावगंज से दिरगखेड़ा में सकरे व क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 5x3.00 मी0 स्पान के आर0सी0सी 0लघु सेतु का निर्माण कार्य।	100.67	63.46	17.08	80.54	लो0नि0वि0
8	सीतापुर	जनपद सीतापुर में मानपुर से बगस्ती सम्पर्क मार्ग पर 5x6.00 मी0 स्पान का आर0सी0सी0 लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	426.38	268.75	72.35	341.10	लो0नि0वि0
9	महराजगंज	जनपद महराजगंज में रामगढ़वा पुल से डगरूपुर सम्पर्क मार्ग के चैनेज 0.000 पर स्थित सकरा एवं क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 5x5x5 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	198.73	125.26	33.72	158.98	लो0नि0वि0
10	ललितपुर	जनपद ललितपुर में तालबेहट माताटीला मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0-3 में 5x5x5 मी0 का बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य	256.00	161.36	43.44	204.80	लो0नि0वि0
11	कानपुर देहात	जनपद कानपुर देहात में सिहुरा मीरा से सियारी नाला तक मार्ग में सियारी नाला (ग्राम कठारा) पर 2 गुणा 6 मीटर स्पान के लघु सेतु का पुर्ननिर्माण कार्य।	78.27	49.34	13.28	62.62	लो0नि0वि0
12	प्रयागराज	जनपद प्रयागराज में लालापुर इमलिया कंजासा भीटा-मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0-1 में सिंचाई विभाग की क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3x6 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	142.49	89.81	24.18	113.99	लो0नि0वि0
13	मैनपुरी	जनपद मैनपुरी में चितायन महिगवां मार्ग से कमलपुर मार्ग के किमी0-1 में आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	70.73	44.58	12.00	56.58	लो0नि0वि0
14	मैनपुरी	जनपद मैनपुरी में किशनी भॉवत मैनपुरी औंछा जसराना मार्ग (प्र0जि0मा0-177डब्लू) के किमी0-9 में आर0सी0सी0 सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	332.28	209.44	56.38	265.82	लो0नि0वि0
15	शाहजहांपुर	जनपद शाहजहाँपुर में गोला शाहजहाँपुर मार्ग से	329.81	207.89	55.96	263.85	लो0नि0वि0

http://shasanadesh.up.gov.in

		बिलरिया बसुलिया महाऊ महेश मुड़िया मोड़ (अन्य जिला मार्ग) के किमी-11 में चन्देरी इस्केप (गंदा नाला) पर स्थित क्षतिग्रस्त लघु सेतु के समीप नव लघु सेतु का निर्माण कार्य।					
16	सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में सहारनपुर बड़ागांव मार्ग किमी0 4 में देहरी सीमा वाया मल्हीपुर शेरपुर गुर्जर फतेहपुर गुर्जर कांकरकुई चांदनपुर नल्हेडा मार्ग पर क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 2/33/0 बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	77.44	48.81	13.14	61.95	लो0नि0वि0
17	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में सरदारनगर के अन्तर्गत इब्राहीमपुर ढोलहा टोला मार्ग पर 3×5x5 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य	114.78	72.34	19.48	91.82	लो0नि0वि0
18	बागपत	जनपद बागपत में बडौत-कोतना मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 0.270 में संकरे/क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण कार्य।	181.02	114.10	30.72	144.82	लो0नि0वि0
19	मेरठ	जनपद मेरठ में कोटाहरनाथपुर (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 12 से निकलकर जसौरा छोईया नाले को जोड़ने वाले मार्ग पर लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के नव निर्माण का कार्य	336.51	212.11	57.10	269.21	लो0नि0वि0
		योग:-	**3369.20**	**2123.67**	**571.69**	**2695.36**	

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय। (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा। लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चिवत करेंगे।

(6) विभागाध्यक्ष व संबंधित अधिकारीगण, व्य्य वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) के शासनादेश सं० ए०-2-23/दस-2011-17(4)/75 अनुभाग-2 दि० 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए0-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दि० 11.11.2014 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभागाध्यक्ष / संबंधित अधिकारी द्वारा जमा की जायेगी। श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी।

(10) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय विभागाध्यक्ष द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) विभागाध्यक्ष द्वारा आगणन में सम्मिलित जी०एस०टी० की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी, उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(12) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(13) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुये किया गया है। सेतु निर्माण की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, आर०ई०वाल० एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत परियोजना के स्कॉप में परिवर्तन आदि शासन/व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तगित प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(15) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(16) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(17) विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(18) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-60/ दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(19) विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्युत/यांत्रिक खण्डों से संबंधित धनराशि मुख्यालय से सीधे विद्युत/यांत्रिक खण्डों (जिसके द्वारा कार्य किया जाना है) को आवंटित की जायेगी।

(20) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/ बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024 दिनांक 19.06.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 21,23,67,000 (रुपये इक्कीस करोड़ तेईस लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010403 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 5,71,69,000 (रुपये पाँच करोड़ इकहत्तर लाख उनहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखा शीर्षक 5054047892000 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-360-X-2024-25 दिनांक : 07-11-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव

संख्या-27/2024/2082(1)/ 001-1407-2024-23-11-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ०प्र०, प्रयागराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त / संबंधित जिलाधिकारी ।
3- निजी सचिव, मा० मंत्री, लोक निर्माण विभाग ।
4- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7- संबंधित कोषाधिकारी ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8।
9- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) /राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2
10- बजट आवंटन अधिकारी, लो०नि०वि०, उ०प्र० शासन / गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव,

http://shasanadesh.up.gov.in